न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 23/2020

1. भगवानसिंह } पिसरान शिवचरन
2. मदनमोहन }
3. राजवीर }
4. भूरी } पुत्रीयान शिवचरन
5. धुर्रो }
6. मुन्नो }
7. सफेदी }
8. रामश्री वेवा शिवचरन

जाति जाटव निवासी नाहर गंज मौहल्ला कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टान

बनाम

1. रजनी पत्नी सन्तोष भण्डारी जाति जाटव निवासी नाहरगंज मौहल्ला कस्बा कुम्हेर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 18.08.2010 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1561 वांकै ग्राम कस्बा कुम्हेर द्वितीय जिला भरतपुर।

उपस्थित :– 1. श्री नीरपाल सिंह, अभिभाषक अपी0
2. श्री पंकज कुमार, अभिभाषक रैस्पो0 1
2. राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 15.12.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 30.08.2010 पेश की गई है। है। अपीलाधीन आदेश में बयनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1561 बाकै कस्बा कुम्हेर स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 1561 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यो के विपरीत निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्टान के पिता व पति शिवचरन पुत्र भुल्ली जाति जाटव निवासी कस्बा कुम्हेर हाल खसरा नम्बर 3757/0.36, 3758/0.33, 3780/036 किता 3 रकवा 1.05 हैक्टे0 से 96/105 दर 1/3 हिस्सा को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.05.2006 से रैस्पो0 संख्या 1 रजनीदेवी को विक्रय किया गया तथा 9/105 हिस्सा मृतक शिवचरन का शेष रहा हिस्सा को अपीलान्टान ने विरासत में प्राप्त किया है। शिवचरन का स्वर्गवास दिनांक 26.11.2008 को हो चुका है। अपीलान्टान ही मृतक के मात्र वारिसान है अन्य कोई वारिस मौजूद नहीं है परन्तु पटवारी हल्का दााखिल खारिज संख्या 1561 दर्ज करते समय सहवन से 96/105 हिस्सा दर 1/3 की जगह सम्पूर्ण हिस्सा 1.05 हैक्टे0 को रजनी के नाम दर्ज कर दिया है तथा आईएलआर ने बिना मौका व रिकार्ड देखे पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मान कर हस्ताक्षर कर दिये है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलान्टान को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलान्टान अनपढ ग्रामीण किसान है तथा अपने 03/105 हिस्सा पर काविज काश्तकार है परन्तु दिनांक 2608.2020 को रैस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपीलान्टान को को स्पष्ट धमकी दी है कि समस्त आराजी किता 3 रकवा 1.05 हैक्टे0 के 1/3 हिस्सा पर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्द्राज करा लिये है। अपीलान्टान का विवादित आराजी में कोई हिस्सा दर्ज नहीं है। अब रैस्पो0 संख्या 1 अपीलान्टान को उनके हिस्से से जबरदस्ती

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जाट के बल पर बेदखल करेगी तब अपीलान्टान द्वारा पटवारी हल्का से दाखिल खारिज संख्या 1561 की नकल प्राप्त करने पर दिनांक 26.08.2020 को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई वैसे भी अपीलाधीन आदेश खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून के होने से अवैध एवं शून्य है ऐसे आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। फिर भी जानकारी होने की दिनांक 26.08.2020 से बिना किसी देरी के अपील पेश की है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

वकील रैस्पो0 संख्या 1 एवं पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2010 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर सहवन से सम्पूर्ण हिस्से का इन्द्राज दााखिल खारिज नम्बर 1561 रजनी के नाम स्वीकृत हो गया है। जबकि बयनामा के अनुसार ही इन्द्राज होने चाहिये थे। यह जांच का बिन्दु है इसलिये जांच किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1561 दिनांक 18.08.2010 की सत्यप्रति का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1561 के कॉलम संख्या 7 में शिवचरन पुत्र मुल्ली हि. 1/3 जाति जाटव सा.देह खातेदार शेष बदस्तूर दर्ज है एवं कॉलम संख्या 9 में रजनी पत्नी संतोष भण्डारी हि. 1/3 जाति जाटव सा. देह खातेदार शेष बदस्तूर दर्ज है एवं कॉलम संख्या 14 में बयनामा दिनांक 19.05.2006 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना स्पष्ट है। अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत बयनामा की सत्यप्रति का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अवलोकन किया गया। बयनामा में शिवचरन की आराजी खसरा नम्बर 3757/0.36, 3758/0.33, 3780/0.36 किता 3 रकवा 1.05 हैक्टे0 में 96/105 दर 1/3 को रजनी धर्मपत्नी संतोष भण्डारी को बय किये जाने का अंकन है। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवरण एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टान के पिता व पति द्वारा अपने हिस्से की आराजी 1/3 का दर 96/105 भाग ही बेचान किया है ना कि सम्पूर्ण हिस्सा। उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बयनामा दिनांक 19.05.2006 के अनुसार जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार कुम्हेर को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (राज.)